प्राप्त

बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

32, हार्डिंग रोड, पटना-800001

फोन- 0612-2231563, फैक्स नं. : 2231562, 2215089, वेबसाईट : www.bsea.bih.nic.in

पत्रांक : नि० प्रा०/ नि० 1-04/2012 1271 /पटना, दिनांक 22/12/2017

प्रेषक,

फूल सिंह,
मुख्य चुनाव पदाधिकारी।

सेवा में,

<u>जिला पदाधिकारी -सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स० स०), पटना/</u>

<u>अनुमंडल पदाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी (बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम लिमिटेड), पटना सिटी/</u>

जिला सहकारिता पदाधिकारी, पटना।

विषय : **बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम लिमिटेड, ऑफिसर्स हॉस्टल, ब्लॉक-'ए', बेली रोड, पटना के प्रबंधकारिणी समिति के निर्वाचन हेतु मतदाता सूची की तैयारी के संबंध में।**

महाशय,

बिहार सहकारिता अधिनियम-1935 की धारा-14 (क) (यथा संशोधित) एवं सहकारिता विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या-1273 दिनांक-01.03.2012 के क्रम में उक्त अधिनियम के तहत् निबंधित सहकारी समितियों के प्रबंधन समिति का निर्वाचन बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के नियंत्रण, निदेशन एवं पर्यवेक्षण के अधीन कराया जाना है।

प्राधिकार की अधिसूचना संख्या-6476 दिनांक 12.05.2012 द्वारा बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 के तहत निबंधित सभी सहकारी समितियों के निर्वाचन सम्पन्न कराने के लिए जिला पदाधिकारी को अपने-अपने क्षेत्राधिकार के लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स० स०) एवं अधिसूचना संख्या-9757 दिनांक 03.11.2012 द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सिटी को **बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम लिमिटेड, पटना के निर्वाचन के लिए** निर्वाचन पदाधिकारी घोषित किया गया है। सुलभ प्रसंग हेतु उसकी एक प्रति संलग्न है **(अनुलग्नक-1)**। अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सिटी उक्त समिति के निर्वाचन हेतु अपने अधीन कार्यरत प्रखंड विकास पदाधिकारी/ अंचल अधिकारी/ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता/ उप समाहर्त्ता को उप निर्वाचन पदाधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकते हैं।

2. मतदाता सूची के लिए **कट-ऑफ तिथि दिनांक 30.11.2017** होगी।

3. **बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम लिमिटेड, पटना (जिसे आगे समिति के नाम से संबोधित किया गया है)** द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सिटी को दिनांक 28.12.2017 तक विहित **प्रपत्र-1 (अनुलग्नक-2)** में मतदाता सूची उपलब्ध कराया जाएगा। मतदाता सूची उपलब्ध कराने के पूर्व समिति मतदाता सूची के प्रत्येक पृष्ठ को हस्ताक्षरित कर इसकी चार प्रतियाँ **दिनांक 28.12.2017** तक निश्चित रूप से अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सिटी को उपलब्ध करा देगी। इसकी एक अतिरिक्त प्रति जिला सहकारिता पदाधिकारी, पटना को दी जायेगी। यह सुनिश्चित करना संबंधित समिति की

जिम्मेवारी होगी कि मतदाता सूची में किसी सदस्य के संबंध में संगत स्तम्भों में की गई प्रविष्टि एवं सभी सूचनायें सही हैं। समिति द्वारा मतदाता सूची तैयार करते समय निम्नलिखित बिन्दुओं को ध्यान में रखा जायेगा:-

- समितियां कट-ऑफ-तिथि तक बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम लिमिटेड, पटना से नियमानुसार संबद्ध है।
- समितियों के अध्यक्षों का नाम मतदाता सूची में अंकित किया जायेगा। यदि अध्यक्षों के नाम उपलब्ध नहीं है, तो अध्यक्ष के नाम वाले स्तंभ को खाली रखा जायेगा।
- उपविधियां एवं सहकारिता नियमावली के प्रावधानों के अधीन अयोग्यताओं का स्पष्ट उल्लेख प्रारूप में किया जायेगा। एक बार मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिये जाने के पश्चात् अयोग्यता संबंधी कोई प्रविष्टि करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

4. मतदाता सूची की तैयारी के संबंध में प्राधिकार द्वारा निम्नांकित कार्यक्रम नियत किया जाता है:-

क्र०	कार्यक्रम	अवधि
i	समिति द्वारा प्रपत्र-1 में सदस्यता सूची अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सिटी को उपलब्ध कराने की तिथि	28.12.2017
ii	निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्रारूप मतदाता सूची का विहित स्थानों पर प्रकाशन	30.12.2017
iii	आम नोटिस का प्रकाशन जिसमें मतदाता सूची के संबंध में आपत्तियाँ प्राप्त करने की तिथि और प्राप्त आपत्तियों के निष्पादन की तिथि अंकित है	30.12.2017
iv	आपत्तियाँ दाखिल करने की अवधि	08.01.2018 तक
v	आपत्तियों के निष्पादन के बाद मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन	10.01.2018

5. मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन की सूचना प्रपत्र-2 (**अनुलग्नक-3**) में निर्गत की जायेगी। प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन निम्न स्थलों पर किया जायेगा :-

(i) निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय के सूचना पट पर।

(ii) संबंधित समिति के कार्यालय के सूचना पट पर।

(iii) जिला सहकारिता पदाधिकारी, पटना के कार्यालय के सूचना पट पर।

6. निर्वाचन पदाधिकारी उक्त समिति का प्रारूप प्रकाशन कर दिये जाने की सूचना दिनांक 02.01.2018 तक प्राधिकार को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे।

7. प्रारूप मतदाता सूची में अंकित मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से हटाने के संबंध में कोई दावा/ आपत्ति संलग्न **प्रपत्र-3A (अनुलग्नक-4)** अथवा **प्रपत्र-4A (अनुलग्नक-5)** में विहित समय सीमा के अन्तर्गत ही दिया जा सकेगा। प्रपत्र केवल अध्यक्ष द्वारा ही प्रस्तुत किया जा सकेगा। आपत्ति उन्हीं समितियों द्वारा दी जायेगी जिनका नाम संबंधित समिति की सदस्यता सूची में सम्मिलित है। सदस्यता सूची से बाहर किसी समिति द्वारा दी गई आपत्ति निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा सिरे से खारिज कर दी जायेगी।

8. प्रारूप मतदाता सूची में लिपिकीय अथवा मानवीय भूलवश किसी सदस्य, उसके पिता/ पति का नाम एवं पता अथवा किसी समिति के नाम एवं पते में कोई भूल या त्रुटि परिलक्षित होने पर निर्वाचन पदाधिकारी प्रारूप मतदाता सूची में आवश्यक सुधार करने हेतु सक्षम होंगे।

9. प्रारूप मतदाता सूची की किसी प्रविष्टि के संबंध में आवेदन पत्र विहित प्रपत्रों में प्राप्त होने पर निर्वाचन पदाधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी (उप निर्वाचन पदाधिकारी) द्वारा उसकी सरसरी तौर पर पड़ताल कराई जाएगी तथा आवश्यकता महसूस होने पर संक्षिप्त सुनवाई कर आपत्ति की स्वीकृति/ अस्वीकृति के संबंध में आपत्ति-पत्र पर ही सम्यक आदेश पारित किया जाएगा।

10. मतदाता सूची में नाम सम्मिलित करने के लिए (जहाँ अध्यक्ष का नाम खाली छोड़ दिया गया है) निर्वाचन पदाधिकारी संबंधित अध्यक्ष से संबद्ध समिति के निर्वाचन पदाधिकारी या जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित निर्वाचन प्रमाण के साथ सादे कागज पर आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे नाम जोड़ने की कार्रवाई नामांकन की तिथि से एक दिन पूर्व तक ही की जा सकेगी।

11. आपत्ति पत्र पर पारित सम्यक् आदेश के आलोक में तदनुसार मतदाता सूची में आवश्यक संशोधन अनुपूरक मतदाता सूची के माध्यम से कर लिया जाएगा। डेलीगेट्स का नाम भी ऊपर की कंडिका-10 के निर्देशों के अनुसार जोड़ा जायेगा। मतदाता सूची से नाम विलोपित किये जाने के मामले में आपत्तिकर्त्ता का नाम प्रारूप मतदाता सूची में शामिल नहीं रहने की स्थिति में आपत्ति पत्र स्वीकार योग्य नहीं होगा। इसी तरह मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किये जाने के मामले में आवेदन पत्र के साथ सदस्यता शुल्क रसीद/ शेयर प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि/ संबद्धता से संबंधित अभिलेख अनिवार्य रूप से संलग्न होनी चाहिए एवं जाँच के समय मूल प्रतियों की मांग आवश्यक रूप से की जाय। साथ-ही-साथ, आवश्यकता महसूस होने पर इन मामलों से संबंधित समिति के अध्यक्ष से भी प्रतिवेदन/ अभिलेख की मांग की जाय। **यह स्पष्ट किया जाता है कि समिति निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा मांगी गई सूचनायें अभिलेखों के आधार पर उन्हें समय-सीमा के अंदर उपलब्ध कराने हेतु कर्त्तव्यबद्ध (dutybound) होगी।**

12. प्रारूप मतदाता सूची में जो भी परिवर्तन किए जायेंगे, उन्हें **प्रपत्र-5 (अनुलग्नक-6)** में दिए गए नमूने के अनुसार एक अनुपूरक सूची के रूप में तैयार किया जाएगा, जिसमें स्पष्ट उल्लेख रहेगा कि प्रारूप मतदाता सूची से कौन सी प्रविष्टि हटायी गयी है, कौन सी प्रविष्टि में आवश्यक संशोधन किया गया है, तथा कौन-सी नई प्रविष्टि जोड़ी गई है। **प्रारूप मतदाता सूची एवं अनुपूरक मतदाता सूची के सम्मिलित रूप को अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची माना जाएगा।** मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन का प्ररूप प्रपत्र-**6 (अनुलग्नक-7)** पर देखा जा सकता है।

13. संबंधित समिति की अंतिम मतदाता सूची के प्रत्येक पृष्ठ के अंत में उसे तैयार करने वाले कर्मी तथा निर्वाचन पदाधिकारी/ प्राधिकृत उप निर्वाचन पदाधिकारी, दोनों द्वारा अंतिम प्रकाशन के दिन हस्ताक्षर किया जाएगा जो इस बात के प्रमाणस्वरूप होगा कि मतदाता सूची सही है एवं इसमें कोई छेड़-छाड़ नहीं की गई है। **सचेत किया जाता है कि प्रारूप मतदाता सूची अथवा पूरक मतदाता सूची की किसी प्रविष्टि में ओवरराइटिंग नहीं हो; किसी भी तरह के सुधार को स्पष्ट अक्षरों में उसके बगल में अंकित कर दिया जाँय तथा उसके शीर्ष में सुधार करने वाले पदाधिकारी द्वारा अपना आद्याक्षर (initial) अवश्य कर दिया जाय।**

14. मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन के समय अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सिटी समिति द्वारा प्रपत्र-1 में टंकित या कम्प्यूटरीकृत रूप में उपलब्ध कराये गये मतदाता सूची की एक प्रति का उपयोग मूल अभिलेख (कार्यालय प्रति) के रूप में सुरक्षित रखें।

15. मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के समय अंतिम मतदाता सूची की नौ प्रतियाँ तैयार की जायेंगी। इसकी चार प्रतियों का उपयोग निर्वाचन के समय किया जाएगा तथा शेष बची प्रतियों में से एक प्रति अनुमंडल मुख्यालय में अंतिम प्रकाशन के लिए; एक प्रति समिति के कार्यालय में अंतिम प्रकाशन के लिए एवं एक प्रति निर्वाचन पदाधिकारी के यहाँ अभिलेख के रूप में सुरक्षित रखने के लिए तथा दो प्रति जिला सहकारिता पदाधिकारी, पटना को उपलब्ध करा दी जायेंगी। **जो सदस्य मतदाता सूची की फोटो प्रति प्राप्त करना चाहें, उन्हें ₹1.50 प्रति पृष्ठ की लागत दर पर निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा फोटो प्रति उपलब्ध करायी जाएगी।**

16. निर्वाचन पदाधिकारी अपने कर्तव्यों के सम्पादन हेतु जिला सहकारिता पदाधिकारी, पटना को आवश्यकतानुसार अपने साथ संबद्ध कर सकते हैं, जो उन्हें हर आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

अनुलग्नक :

1. प्राधिकार की अधिसूचना सं॰–9757 दिनांक 03.11.2012
2. मतदाता सूची का प्रपत्र – प्रपत्र–1
3. मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन की सूचना – प्रपत्र–2
4. मतदाता सूची से नाम हटाने तथा जोड़ने के संबंध में आपत्ति/ दावा दर्ज करने का प्रपत्र – प्रपत्र–3A
5. मतदाता सूची में किसी प्रविष्टि से संबंधित विशिष्टियों पर आपत्ति दर्ज करने का प्रपत्र – प्रपत्र–4A
6. अंतिम प्रकाशन के लिए अनुपूरक मतदाता सूची का नमूना– प्रपत्र–5
7. मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की सूचना का प्रारूप– प्रपत्र–6

विश्वासभाजन,

(फूल सिंह)
मुख्य चुनाव पदाधिकारी

ज्ञापांक : 1271 पटना/ दिनांक 22/12/2017

प्रतिलिपि–प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/ प्रधान सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/ पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/ प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/ सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना/ प्रमंडलीय आयुक्त, पटना/ निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मुख्य चुनाव पदाधिकारी

ज्ञापांक : 1271 पटना/ दिनांक 22/12/2017

प्रतिलिपि–प्रबंध निदेशक/ सचिव, बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम लिमिटेड, ऑफिसर्स हॉस्टल, ब्लॉक–'ए', बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मुख्य चुनाव पदाधिकारी

ज्ञापांक : 1271 पटना/ दिनांक 22/12/2017

प्रतिलिपि–मुख्य चुनाव पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना के कोषांग/ उप सचिव/ अवर सचिव/ सभी प्रशाखा पदाधिकारी/ सांख्यिकी पर्यवेक्षक, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मुख्य चुनाव पदाधिकारी

बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

बैरक संख्या-11, पुराना सचिवालय, पटना-800015

फोन- 0612-2231563, फैक्स नं. : 2231562, 2215089, वेबसाईट : www.bsea.bih.nic.in

पटना/ दिनांक 03 ~~अक्टूबर~~ नवम्बर, 2012

अधिसूचना

संख्या- नि॰प्रा॰/नि॰ 1-04/2012/9757 बिहार सहकारी सोसाईटी (संशोधन) अधिनियम, 2011 के धारा-14 (क) (1) के प्रावधानों के आलोक में सहकारिता विभाग की अधिसूचना संख्या-1273 दिनांक 01.03.2012 द्वारा बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 के अधीन निबंधित सहकारी समितियों के प्रबंध समिति के निर्वाचन संचालन का दायित्व बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार को सौंपा गया है।

2. उक्त परिप्रेक्ष्य में बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम 2008 की धारा 5 (2) एवं बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार नियमावली 2008 के नियम 6 (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम लिमिटेड, मलयानिल भवन, बुद्धा कॉलोनी, पटना-1 के निर्वाचन के लिए अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सिटी को निर्वाचन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

3. अनुमंडल पदाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी उक्त समिति के निर्वाचन हेतु प्रखंड विकास पदाधिकारी/ अंचल अधिकारी/ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता/ उप समाहर्त्ता को उप निर्वाचन पदाधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकते हैं।

4. अनुमंडल पदाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी जिला पदाधिकारी -सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी (सहयोग समितियाँ), पटना के निर्देशन एवं नियंत्रण में उक्त समिति का चुनाव संबंधी कार्य करेंगे।

5. उक्त सभी पदनामित पदाधिकारी बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 की धारा 4 के अन्तर्गत बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के पर्यवेक्षण, निदेशन एवं नियंत्रण में निर्वाचन का संचालन करेंगे।

(हस्ताक्षर) 3/XI

(एन॰ एस॰ माधवन)

मुख्य चुनाव पदाधिकारी

ज्ञापांक : 9757 पटना/ दिनांक 03 ~~अक्टूबर~~ नवम्बर, 2012

प्रतिलिपि : ई-गजट शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उनसे अनुरोध है कि प्रकाशित अधिसूचना की 100 प्रतियाँ प्राधिकार को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

(हस्ताक्षर) 3/XI

मुख्य चुनाव पदाधिकारी

ज्ञापांक : 9757 पटना/ दिनांक 03 ~~अक्टूबर~~ नवम्बर, 2012

प्रतिलिपिः प्रमंडलीय आयुक्त, पटना/ जिला पदाधिकारी -सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी (सहयोग समितियाँ), पटना/ अनुमंडल पदाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी, पटना सिटी/ प्रशासक, बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम लिमिटेड, मलयानिल भवन, बुद्धा कॉलोनी, पटना-1 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 3/XI

मुख्य चुनाव पदाधिकारी

205

ज्ञापांक : 9757 पटना/ दिनांक 03 अक्टूबर, 2012

प्रतिलिपि: प्रधान सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/ प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/ प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/x

मुख्य चुनाव पदाधिकारी

SDO P.City for SC Nigam_S.Cast.doc

अनुलग्नक-2

बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम लिमिटेड, पटना का निर्वाचन

प्रपत्र- 1

सदस्य सोसाईटी के संबंध में मतदाता सूची

जिला का नाम : .... समिति का नाम :...

क्रमांक	सदस्य सोसाईटी का नाम एवं पता		डेलीगेट/ प्रतिनिधि (समिति के अध्यक्ष का नाम अंकित किया जायेगा)	अयोग्यता, यदि कोई हो	अभ्युक्ति
1	2		3	4	5

अनुलग्नक-3

बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम लिमिटेड, पटना का निर्वाचन

प्रपत्र- 2

मतदाता सूची के प्रकाशन की सूचना का प्रारूप

सेवा में,

सचिव, ..., पंजीयन संख्या......................................
(समिति का नाम)

के सदस्यगण।

एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार नियमावली, 2008 एवं बिहार राज्य सहाकारिता (संशोधन) नियमावली, 2008 के सुसंगत प्रावधानों तथा दी को-ऑपरेटिव सोसाईटी लिमिटेड की उपविधियों के अधीन समिति की प्रबंधन समिति के निर्वाचन के निमित्त मतदाता सूची तैयार हो गयी है और उसकी एक प्रति कार्यालय के समय के दौरान मेरे कार्यालय में और उपर्युक्त समिति के कार्यालय में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है। प्रारूप मतदाता सूची दिनांक ....से .... तक विहित स्थलों पर प्रकाशित रहेगी।

निर्वाचक नामावली के तैयार किये जाने की कट-ऑफ-तिथि 30.11.2017 है।

यदि उपरोक्त कट-ऑफ-तिथि के संदर्भ में नामावली में किसी नाम को सम्मिलित किया जाने के लिए कोई दावा या किसी नाम के सम्मिलित किये जाने के लिए कोई आक्षेप किया जाता है या किसी प्रविष्टि की विशिष्टियों की बाबत कोई आक्षेप हो तो वह दिनांक .... से .... (कार्यालय अवधि) के बीच निर्धारित प्रपत्रों में दाखिल किया जाय।

हर ऐसा दावा आक्षेप या तो मेरे कार्यालय में या .... (पदनाम) के समक्ष पेश किया जाय या नीचे दिये गये पते पर डाक द्वारा भेज दिया जाय कि वह मुझे उपरोक्त तारीख तक मिल जाय। आपत्ति दाखिल करने के लिए निर्धारत प्रपत्रों (**प्रपत्र-3 एवं प्रपत्र-4**) का नमूना मेरे कार्यालय में उपलब्ध है।

प्राप्त आपत्तियों के निष्पादन के बाद मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन दिनांक .... को किया जायेगा।

दिनांक

निर्वाचन पदाधिकारी
पता ....

ज्ञापांक: .... दिनांक ....

प्रतिलिपि: प्रबंध निदेशक/ सचिव, बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम लिमिटेड, ऑफिसर्स हॉस्टल, ब्लॉक-'ए', बेली रोड, पटना को इस निदेश के साथ प्रेषित कि वे संलग्न मतदाता सूची (प्रपत्र-1) को अपने कार्यालय के सूचना पट पर इस मतदाता सूची के प्रकाशन की सूचना के साथ प्रकाशित करें।

2. कृपया मतदाता सूची के प्रकाशन की सूचना अपने स्तर से उपरोक्त समिति के सभी सदस्यों को दे दें।

निर्वाचन पदाधिकारी
पता ....

बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम लिमिटेड, पटना का निर्वाचन

प्रपत्र-3A

(मतदाता सूची से नाम हटाने अथवा जोड़ने के संबंध मे आपत्ति दर्ज करने का प्रपत्र)

सेवा में,

निर्वाचन पदाधिकारी,

....लिमिटेड ।

महोदय,

मैं ....उपर्युक्त सहकारी समिति के निर्वाचन के लिए प्रकाशित की गई प्रारूप मतदाता सूची के क्रमांक............पर श्री/ श्रीमती/ कुमारी... का नाम सम्मिलित किये जाने पर निम्न कारण (कारणों) से आपत्ति दर्ज करता/करती हूँ :

(i) ....

(ii) ....

अथवा

मैं श्री/ श्रीमती/ कुमारी ....पिता/पति का नाम ....पता .... आवेदन दर्ज करता हूँ कि मेरा नाम उपरोक्त समिति की मतदाता सूची में निम्नलिखित कारणों एवं साक्ष्य के आधार पर जोड़ दिया जाय।

कारण .... (यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त पृष्ठ का भी उपयोग किया जा सकता है।)

निम्नलिखित साक्ष्य इसके साथ संलग्न है।

(i) सदस्यता शुल्क का प्रमाण-पत्र*

(ii) शेयर प्रमाण-पत्र की प्रति*

(iii) ---

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि परिवर्णित तथ्य मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है। उक्त समिति के लिए प्रकाशित मतदाता सूची में मेरा नाम निम्नलिखित रूप से सम्मिलित है –

पूरा नाम..............................; पिता का नाम ....; मतदाता सूची का क्रमांक**.........................

स्थान :

तारीख : आपत्तिकर्त्ता का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

*व्यक्तिगत सदस्य को मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए आवेदन में इनमें से एक अभिलेख संलग्न करना आवश्यक होगा।

** मतदाता सूची से नाम विलोपित किए जाने के लिए आवश्यक।

की गई कार्रवाई की सूचना

1. श्री/श्रीमती/कुमारी......................, जो ....का/की निवासी हैं,.................... द्वारा दी गई आपत्ति को स्वीकार कर लिया गया है और .... लिमिटेड की मतदाता सूची के क्रमांक..............पर उल्लिखित श्री/श्रीमती/कुमारी... .... का नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया है/ क्रमांक...........पर उनका नाम जोड़ दिया गया है।
2. निम्नलिखित कारणों से नामंजूर कर दिया गया है–

....

स्थान : निर्वाचन पदाधिकारी,

तारीख : .... लिमिटेड

आवेदन की रसीद

श्री/श्रीमती/कुमारी............................ पता.. जो .... लिमिटेड के सदस्य हैं, से आपत्ति विहित प्रपत्र में दिनांक ....को प्राप्त हुई है। आवेदन की रसीद का क्रमांक .... है।

स्थान : आपत्ति प्राप्त करने वाले

तारीख : पदाधिकारी का हस्ताक्षर

अनुलग्नक-5

बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम लिमिटेड, पटना का निर्वाचन

प्रपत्र-4A

[मतदाता सूची से नाम हटाने अथवा जोड़ने के संबंध मे आपत्ति दर्ज करने का प्रपत्र (शीर्ष समिति के लिए)]

सेवा में,

निर्वाचन पदाधिकारी,

....लिमिटेड ।

महोदय,

मैं .... (नाम), अध्यक्ष/ सचिव, समिति का नाम ....उपर्युक्त शीर्ष सहकारी समिति के निर्वाचन के लिए प्रकाशित की गई प्रारूप मतदाता सूची के क्रमांक...............पर .... (नाम), ... (समिति का नाम) का नाम सम्मिलित किये जाने पर निम्न कारण (कारणों) से आपत्ति दर्ज करता/करती हूँ :

(i) ....

(ii) ....

अथवा

मैं .... (नाम) पिता/पति का नाम ....पता .... (समिति का नाम) .... आवेदन दर्ज करता हूँ कि मेरा नाम उपरोक्त समिति की मतदाता सूची में निम्नलिखित कारणों एवं साक्ष्य के आधार पर जोड़ दिया जाय।

कारण ....(यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त पृष्ठ का भी उपयोग किया जा सकता है।)

निम्नलिखित साक्ष्य इसके साथ संलग्न है।

(i) सदस्यता शुल्क का प्रमाण-पत्र*

(ii) शेयर प्रमाण-पत्र की प्रति*

(iii) समिति के संबद्धता संबंधी प्रमाण-पत्र की प्रति*

(iv) ---

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि परिवर्णित तथ्य मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है। उक्त समिति के लिए प्रकाशित मतदाता सूची में मेरा नाम निम्नलिखित रूप से सम्मिलित है -

पूरा नाम.....................................; पिता का नाम ....; समिति का नाम .... मतदाता सूची का क्रमांक**..........................

स्थान :

तारीख : आपत्तिकर्त्ता का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

*व्यक्तिगत सदस्य को मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए आवेदन में इनमें से एक अभिलेख संलग्न करना आवश्यक होगा।

** मतदाता सूची से नाम विलोपित किए जाने के लिए आवश्यक।

की गई कार्रवाई की सूचना

1. ....(नाम)................................, समिति का नाम ....पता.................................. द्वारा दी गई आपत्ति को स्वीकार कर लिया गया है और .... लिमिटेड की मतदाता सूची के क्रमांक..............पर उल्लिखित श्री/श्रीमती/कुमारी.................... .... का नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया है/ क्रमांक...........पर उनका नाम जोड़ दिया गया है।
2. निम्नलिखित कारणों से नामंजूर कर दिया गया है-

....

स्थान : निर्वाचन पदाधिकारी,

तारीख : .... लिमिटेड

आवेदन की रसीद

.... (नाम), समिति का नाम.................................. पता.................................. जो .... लिमिटेड के सदस्य हैं, से आपत्ति विहित प्रपत्र में दिनांक ....को प्राप्त हुई है। आवेदन की रसीद का क्रमांक .... है।

स्थान : आपत्ति प्राप्त करने वाले

तारीख : पदाधिकारी का हस्ताक्षर

अनुलग्नक-6

बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम लिमिटेड, पटना का निर्वाचन

प्रपत्र-5

(अंतिम प्रकाशन के लिए अनुपूरक मतदाता सूची का नमूना)

1. प्रविष्टि जो हटाई गई

मतदाता की क्रम संख्या	मतदाता का नाम

2. वर्तमान प्रविष्टि की शुद्धि

मतदाता की क्रम संख्या	वर्तमान प्रविष्टि			शुद्ध की गई प्रविष्टि		
	मतदाता का नाम	पिता का नाम	पता	मतदाता का नाम	पिता का नाम	पता

3. प्रविष्टि जो जोड़ी गई

सदस्य का नाम	पिता का नाम	पता	अयोग्यता यदि कोई हो	मतदाता सूची में दिया गया क्रमांक

<u>अनुलग्नक-7</u>

बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम लिमिटेड, पटना का निर्वाचन

प्रपत्र-6

मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की सूचना का प्रारूप

सेवा में,

.... लिमिटेड के सदस्यगण।

.... लिमिटेड के सदस्यों को यह सूचित किया जाता है कि उक्त समिति के निर्वाचन सूची के प्रारूप में किये गये संशोधनों की सूची कट-ऑफ-तिथि 30.11.2017 को आधार मानकर तैयार की गई है और उक्त नामावली की एक प्रति संशोधनों की उक्त सूची सहित प्रकाशित कर दी गई है और मेरे कार्यालय में तथा संबंधित समिति के कार्यालय में निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगी।

2. संलग्न मतदाता सूची की एक प्रति संबंधित समिति को प्रेषित की जा रही है।

दिनांक — निर्वाचन पदाधिकारी

स्थान : — पता ....

ज्ञापांक: .... — दिनांक ....

प्रतिलिपि: प्रबंध निदेशक/ सचिव, बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम लिमिटेड, ऑफिसर्स हॉस्टल, ब्लॉक-'ए', बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उन्हें निदेशित किया जाता है कि समिति के सभी सदस्यों को मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की सूचना दें।

दिनांक — निर्वाचन पदाधिकारी

स्थान : — पता ....

(हस्ताक्षर एवं सील)